

भूख से तथाकथित मृत्यु संबंधित जाँच  
हेतु गठित समिति की प्रतिवेदन

---

## अनुक्रमाणिका

<u>विषय सूची:-</u>	<u>पृष्ठ की संख्या</u>
(1) परिचय (Introduction)-	2-4
(2) शब्दावली (Terminology)-	5-13
(3) जाँच पद्धति की रूप रेखा-	14-17
(4) सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा अपेक्षित कार्रवाई अपेक्षित-	18
(5) समिति का सुझाव-	19-21
(6) संदेहात्मक भूखमरी घटना हेतु कार्य योजना-	22
(7) Annexure-1	23
(8) Annexure-2	24
(9) Annexure-3	25
(10) Annexure-4	26
(11) Annexure-5	27
(12) Annexure-6	28-37
(13) Annexure-7	38-54

## (I) परिचय

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के आदेश  
ज्ञापांक-651 दिनांक-28.02.2018 के अनुसार एक समिति का गठन किया गया है। इसका  
विवरण निम्न अनुसार है:-

“ हाल के दिनों में भूख से तथाकथित मृत्यु की खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित  
होती रही है। इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,  
राँची की अध्यक्षता में एक समिति का निम्नवत गठन किया जाता है :-

- |       |  |           |
|-------|--|-----------|
| (i)   | निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची                        | - अध्यक्ष |
| (ii)  | श्री बलराम, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोनीत आयुक्त के सलाहकार,<br>झारखण्ड, राँची | - संयोजक  |
| (iii) | श्री राकेश कुमार सिंह, सदस्य, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद,<br>झारखण्ड, राँची    | - सदस्य   |
| (iv)  | श्री अशरफ़ी नन्द प्रसाद, संयोजक, "भोजन का अधिकार"<br>झारखण्ड, राँची              | - सदस्य   |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- (v) डॉ० सुरनजीन प्रसाद, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नामकुम, राँची – सदस्य
- (vi) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, द्वारा नामित संयुक्त सचिव  
स्तर से अन्यून कोई पदाधिकारी – सदस्य
- (vii) महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा नामित  
संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून कोई पदाधिकारी – सदस्य
- (viii) Director-in-chief, Health Services द्वारा  
नामित एक Nutrition specialist – सदस्य
- (ix) Director-in-chief, Health Services द्वारा नामित एक चिकित्सक – सदस्य
2. समिति के संयोजक का दायित्व होगा कि वे समिति के अध्यक्ष से विचार विमर्श कर समिति की बैठकों का आयोजन करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य कार्य करेंगे ।
3. समिति द्वारा तथाकथित भूख से हुयी मृत्यु की जाँच के सम्बंध में एक विस्तृत जाँच प्रपत्र तैयार किया जाएगा ।
4. समिति द्वारा राज्य में भूख से मृत्यु की संभावना को कम करने हेतु प्रशासनिक उपाय की अनुशंसा की जाएगी ।